ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 3

मूंग पर जहरीला छिड़काव कर रहे हैं किसान

रविवारीय, 19 - 25 जुलाई 2020 वर्ष- एक, अंक-50, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 5 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

मानवीय हितों के प्रति संवेदनशील रहने की जरूरतः मुख्यमंत्री

रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने रिम्स के कोविड 19 आईसीयू आइसोलेशन वार्ड की अव्यवस्था पर स्वास्थ्य मंत्री को संज्ञान लेने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त रांची को मामले की जांच करने एवं ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु कदम उठाते हुए सूचित करने का निदेश दिया।मुख्यमंत्री ने कहा शासन-प्रशासन को मानवीय हितों के प्रति अधिक संवेदनशील रहने की आवश्यकता है।

सोलर ऊर्जा में पिछड़ रहा देश

मुख्य संवाददाता

पिछले अंक में हमने जंगलों को उजाड़ कर कोयले के खनन पर एक खबर प्रकाशित की थी। तब हमारी चिंता प्रदूषण पैदा करने वाले कोयले के उपयोग को लेकर थी। इस अंक में हम यह बताना चाह रहे हैं कि देश सोलर ऊर्जा में भी कुछ खास तरक्की नहीं कर पा रहा है।

सरकार का दावा है कि वो 2022 तक सोलर प्लांट से 100,000 मेगावाट बिजली पैदा करने के लक्ष्य को हासिल कर लेगी। पर इस लक्ष्य का पूरा होना कितना मुश्किल है और इसके सामने क्या समस्याएं हैं। आइए इसकी जमीनी हकीकत को समझते हैं।

भारत ने 2022 तक अक्षय ऊर्जा की मदद से 175,000 मेगावाट बिजली के उत्पादन का लक्ष्य रखा था। जिसमें से 100,000 मेगावाट सौर ऊर्जा के जरिये हासिल की जाएगी। इसमें से 60,000 मेगावाट यूटिलिटी स्केल सोलर प्लांट और 40,000 मेगावाट रूफटॉप सोलर के जरिए प्राप्त की जाएगी। वहीं यदि आंकड़ों पर गौर करें तो उसके अनुसार मार्च 2020 तक देश में करीब ग्रिड से जुड़े 32,000 मेगावाट के सोलर प्लांट बनाए जा चुके हैं। जबकि जनवरी 2020 तक 87,380 मेगावाट के प्लांट विकास के विभिन्न चरणों में हैं। जिनके पूरा होने में वक्त है। अगले 2 वर्षों में मंत्रालय 15,000 मेगावाट के लिए टेंडर जारी करने की योजना बना रहा है। हालांकि यह योजना पूरी होती हुई नहीं दिख रही है क्योंकि अगर पिछले 2 सालों में जारी किये गए टेंडरों पर नजर डालें तो उसमें से ज्यादातर नए टेंडर सफल नहीं हो सके हैं। ऊपर से कोविड -19 महामारी ने उसकी रफ्तार को और सुस्त बना दिया है। यह जानकारी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी फैक्टशीट में सामने आई है । वहीं 2019-20 के लिए एमएनआरई ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसका सिर्फ केवल तीन-चौथाई ही हासिल हो सका है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में यह लक्ष्य 23 फीसदी कम रखा गया था। इसके बावजूद वो हासिल नहीं हो सका है। जबकि जनवरी से मार्च 2020 के आंकड़ों को देखें तो क्षमता में केवल 730 मेगावाट की ही वृद्धि हुई है।ऐसे में विकास की इस सुस्त रफ़्तार को देखकर यह कह पाना मुश्किल है, कि क्या सच में 2022 तक 60,000 मेगावाट का लक्ष्य भारत हासिल कर पाएगा। ऊपर से महामारी ने इस काम की रफ्तार को और कम कर दिया है। अनुमान है कि 2020 में केवल 5000 मेगावाट क्षमता का विकास किया जा सकेगा। जिसमें रूफटॉप सोलर भी शामिल है।

क्यों पिछड़ रहा है भारत सोलर ऊर्जा में ?

इसके लिए निम्न वजहों को जिम्मेवार माना है। पहला सोलर ऊर्जा की ज्यादा कीमत बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय समस्याओं को और बढ़ा रही हैं। वितरण कंपनियां (डिस्कॉम), सौर ऊर्जा जनरेटर के लिए अपनी बकाया राशि का भी भुगतान करने में असमर्थ रही हैं। ऐसे में निवेश सम्बन्धी जोखिम बढ़ गया है। सीईए के अनुसार, नवंबर 2019 के अंत तक 342 आरई परियोजनाओं की बकाया राशि करीब 9,400 करोड़ रुपये थी। जिससे 14,560 मेगावाट क्षमता की बिजली परियोजनाओं पर असर पड़ा है। यहां तक की सरकार द्वारा डिस्कॉम को दी सहायता के बावजूद भी ऐसे जोखिम के बने रहने की उम्मीद है। दूसरी मुख्य वजह टेंडरों का लगातार विफल होना है। नई परियोजनाओं के लिए किये जा रहे टेंडर लगातार विफल हो रहे हैं क्योंकि वो बिजली उत्पादन की लागत भी नहीं निकल पा रहे हैं। राज्य सरकारों द्वारा 2.5 रुपये से 2.6 रुपये प्रति यूनिट की दर से शुल्क तय किया गया है। मई 2017 में भादला सोलर पार्क की नीलामी के लिए 2.44 रुपये प्रति यूनिट टैरिफ तय किया गया था। लेकिन यह शुल्क व्यवहार्य नहीं था। यही वजह थी कि 2018-19 में 8000 मेगावाट क्षमता के टेंडर रद्द कर दिए गए थे। जोकि उस वर्ष जोड़ी गई क्षमता से भी ज्यादा थे। यही वजह थी कि 2019-20 में एसइसीइ द्वारा की गई नीलामियों में प्रति यूनिट 2.55 से 2.71 रुपये का आकर्षक टैरिफ रखा गया था। । सुरक्षा शुल्क के कारण शुरूवाती लागत में हो रही वृद्धि भी इसकी कमी की एक वजह है। घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जुलाई 2018 में मॉड्यूल पर 25 फीसदी आयात शुल्क लगाया था। जिसको अगले छह महीने के लिए 20 फीसदी और बाद के छह महीने के लिए 15 फीसदी की दर तय की गई थी। लेकिन भारत की उत्पादन क्षमता सीमित है।

बीएयू वैज्ञानिकों ने विकसित की तकनीक, अब मशरूम स्पान रन बैग अवशेष कम्पोस्ट में होंगे उपयोग

मशरूम उत्पादन के बाद बैग में पड़े अवशेष को अनुपयोगी समझकर फ़ेंक दिया जाता है। कुछ लोग इस अवशेष का मछली के तालाब में प्रयोग करते है। अब इस अवशेष से ओल एवं अदरख की खेती होगी और बंजर जमीन को उर्वरक बनाया जायेगा।

संवाददाता

रांची : बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि संकाय अधीन कार्यरत अनुदेशात्मक में मशरूम उत्पादन यूनिट का वर्षो से संचालन किया जा रहा है। इस यूनिट के वैज्ञानिकों ने मशरूम उत्पादन में प्रयुक्त स्पॉन रन बैग के अवशेष का कम्पोस्ट के रूप में प्रयोग करने की तकनीक विकसित की है।

पौधा रोग विभाग के अध्यक्ष एवं यूनिट प्रभारी डॉ नरेंद्र कुदादा ने बताया कि मशरूम की खेती में स्पॉन बीज को स्पॉन रन पालीथीन बैग में भरकर विभिन्न प्रक्रियाओं से मशरूम का उत्पादन किया जाता है। इस बैग से 20 से 22 दिनों के बाद मशरूम प्राप्त होने लगता है। हरेक बैग से 60 दिनों तक विभिन्न अंतराल पर मशरूम को तोड़ा जाता है। 60 दिनों के बाद बैग में पड़े अवशेष को अनुपयोगी समझकर फ़ेंक दिया जाता है। कुछ लोग इस अवशेष का मछली के तालाब में प्रयोग करते है। इस अवशेष से ओल एवं अदरख की खेती करने की योजना बनाई गई। इसके तहत स्पॉन रन पालीथीन बैग के 60 दिनों के इस अवशेष को अगले 30-40 दिनों के लिए पूरी तरह सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। इस सड़े अवशेष से शोध प्रक्षेत्र में ओल एवं अदरख की खेती की गई। इस खेती का परिणाम विगत 3 वर्षो में बेहद उत्साहजनक पाया गया है। इस शोध में अवशेषरहित की तुलना में सड़े अवशेष के उपयोग से 30 प्रतिशत से अधिक उपज तथा मिट्टी के भौतिक गुणों में सुधार पाया गया है।

डॉ. कुदादा ने कहा कि इस तकनीक से सालोभर कम्पोस्ट का उत्पादन किया जा सकता है। मशरूम की खेती से जुड़े किसान इस तकनीक से बिना किसी अतिरिक्त लागत से कम्पोस्ट का उत्पादन कर दोहरा लाभ ले सकते है।डीन एग्रीकल्चर डॉ एमएस यादव ने इस सड़े अवशेष को अति आम्लिक, बंजर एवं पथरीली भूमि के उर्वरता में सुधार के लिए उपयोगी बताया है। इसे आम्लीय भूमि सुधारक चुना का बेहतर विकल्प साबित होने की बात कही। ...शेष पेज 3 पर

सीसीएल में 23 जुलाई से 'वन महोत्सव'

संवाददाता

- **आयोजन के लिए क्षेत्रों से ऑनलाईन तकनीकी का सफल परीक्षण किया गया।**
- **23 जुलाई को सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में वन महोत्सव कार्यक्रम का लाईव प्रसारण किया जायेगा**
- **पिपरवार, ढोरी तथा बरका सयाल क्षेत्र में ईको - पार्क विकसित किया जायेगा।**

रांची : कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गनिर्देशन में आगामी 23 जुलाई, 2020 से सीसीएल एवं कोल इंडिया कीअनुषंगी कंपनियों में 'वन महोत्सव' का आयोजन वृहद स्तर पर किया जायेगा। इस संदर्भ में 15 जुलाई, 2020 को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के सचिव, कोल इंडिया के अध्यक्ष श्री प्रमोद अग्रवाल तथा सभी कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों के सीएमडी ने वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह ने इस बैठक में अपने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

सीएमडी गोपाल सिंह के नेतृत्व में सीसीएल में वन महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। सीसीएल मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रों, ईकाईयों आदि में कर्मियों के बीच फलदार एवं औषधि पौधा का वितरण के साथ-साथ रोपण भी किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 58 हेक्टेयर भूमि में ईको रेस्टोरेशन भी प्रस्तावित है जिसमें सीड बॉल तकनीकी को अपनाकर पौधा प्लांटेशन किया जायेगा। सीड बॉल वह प्राकृतिक तकनीक है जिसमें बीज को मिट्टी में लपेट कर बॉल बनाते हैं औरबरसात के मौसम में चयनित भूमि में फेंक कर पौधा रोपण होता है।

सीसीएल कोयला उत्पादन के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अनेकों कार्य किये हैं और सतत प्रयास जारी है। इस मुहिम के अंतर्गत सीसीएल प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि पिपरवार, ढोरीतथा बरका-सयाल क्षेत्र में ईको-पार्क विकसित किया जायेगा। प्रत्येक पार्क लगभग 20 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जायेगा जिसमें विभिन्न जैव विविधता, मृदा संरक्षण एवं पर्यावरण संबंधीअन्य गतिविधियों को आधुनिक तकनीकी के माध्यम से विस्तारित किया जायेगा।

आगामी 'वन महोत्सव' के सफल आयोजन के लिए 16 जुलाई को सीसीएल मुख्यालय ने सभी क्षेत्रों से ऑनलाईन तकनीकी का सफल परीक्षण किया। इसके माध्यम से आगामी 23 जुलाई को सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में वन महोत्सव कार्यक्रम का लाईव प्रसारण किया जायेगा जिससे सीसीएल कर्मियों एवं अन्य को पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी।

बीएयू : कृषि संकाय ने कृषि स्नातक छात्रों का परीक्षाफल जारी किया

रांची : बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि संकाय में अध्ययनरत कृषि स्नातक छात्रों का फाइनल परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है। इस सबंध में बीएयू कुलसचिव डॉ नरेंद्र कुदादा ने दो अधिसूचना जारी की है। पहली 29 जून को तथा दूसरी अधिसूचना 14 जुलाई को जारी किया गया है।

डीन एग्रीकल्चर डॉ. एमएस यादव ने बताया कि कृषि स्नातक पाठ्यक्रम के वर्ष 2016-17 बैच में अध्ययनरत 43 छात्रों में 15 छात्र एवं 23 छात्राओं सहित कुल 38 छात्रों को सफल घोषित किया गया है। माईनर विषय में असफल 5 छात्रों का नामांकन 9 वें सेमेस्टर में ली गई है। माईनर विषयों में पास होने पर बाकी छात्रों का परिणाम घोषित होगा। ओजीपीए/10 पॉइंट आधारित इस रिजल्ट के अनुसार 8.629 ओजीपीए लाकर आयुस लाल दास बैच के टॉपर बने। जबकि 8.474 ओजीपीए लाकर नेहा कुमारी सिंह ने दूसरा तथा 8.451 ओजीपीए लाकर निकिता कुमारी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है।

सभी परीक्षाफल रांची कृषि महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के है। अगले वर्ष से कृषि संकाय अधीन संचालित कांके (रांची), गढ़वा, देवघर एवं गोड्डा स्थित कृषि महाविद्यालयों में अध्ययनरत कुल 230 छात्रों को डिग्री प्रदान किये जायेंगे। यह जानकारी बीएयू के सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी अजय कुमार ने ग्रीन रिवोल्ट को दी।

जेएसएसपीएस के 2 कैडेट्स का खेलो इंडिया साइकिलिंग अकादमी में चयन

संवाददाता रांची : सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) और झारखण्ड सरकार की सयुंक्त पहल, खेल गाँव राँची स्थित खेल अकादमी, जेएसएसपीएस के 2 कैडेट्स सहित झारखंड के कुल 6 खिलाड़ियों का चयन साई द्वारा संचालित खेलो इंडिया साइकिलिंग अकादमी के लिए हुआ है` विदित हो की प्रारम्भिक चयन परीक्षण का आयोजन विगत 15 से 17 अक्टूबर 2019 तक साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया तथा साई के संयुक्त तत्वावधान में झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन के सहयोग से खेलगाँव रांची मे किया गया थो जिसमें देश के पांच राज्यों, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा ओड़ीसा के खिलाड़ियों ने भाग लिया था ।

रांची ट्रायल के परिणाम के आधार पर चयनित झारखंड के 26 खिलाड़ीयों को विगत फरवरी 2020 में अंतिम चयन तथा उम्र एवं अन्य चिकित्सीय जांच के लिए दिल्ली भेजा गया था` जहां गहन परीक्षण के पश्चात अंतिम रूप से झारखण्ड के 6 खिलाडियों का चयन हुआ है`

1. दीपराज उंरांव, (जेएसएसपीएस)
2. तारा मींज- (जेएसएसपीएस)
3. अमीर रेयाज़
4. पुष्पा कुमारी,
5. सरिता कुमारी,
6. संतोषी उंरांव का चयन साई द्वारा संचालित अकादमी के लिए हुआ । चयनित खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सीएमडी सीसीएल श्री गोपाल सिंह नें उन सभी को बधाई तथा शुभकामना देते हुए कहा की अकादमी के

बच्चों ने पहले ही दिन से अपनी मेहनत और लगन से राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराया है और इनका भविष्य उज्जवल है` झारखण्ड सरकार और सीसीएल प्रबंधन की उम्मीद पर सभी खिलाड़ी खरे उतरे है और इस अकादमी की परिकल्पना को साकार कर रहें है` मुझे पूरा विश्वास है की मिशन 2024 ओलिंपिक में निश्चय ही देश के लिए पदक लाएंगे । अकादमी के कोच, देश भर से चुने गए हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित हैं। ये कोच भारतीय दल का नेतृत्व ओलंपिक, विश्व चौम्पियनशिप, राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में किया है। खेलेगाँव, रांची के परिसर में खेल अकादमी के कैडेट्स को निःशुल्क शिक्षा, बोर्डिंग और लॉजिंग के साथ विभिन्न खेलों में विश्व स्तरीय सुविधाएं और प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

पेय जल जन-जन की जरूरत

डॉ.कृष्ण कुमार मिश्र

आपने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में पीएच-डी. की उपाधि प्राप्त की। आप टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई के होमी भाभा विज्ञान केन्द्र में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। लोकप्रिय विज्ञान लेखक के रूप में आपकी अपार ख्याति है जोकि हिन्दी में आपके व्यापक लेखन से निर्मित हुई है। आपके 250 से अधिक लेख तथा 22 पुस्तकें प्रकाशित हैं। राजभाषा गौरव पुरस्कार, होमी जहाँगीर भाभा स्वर्ण पुरस्कार, शताब्दी सम्मान,राजभाषा भूषण पुरस्कार, इस्वा सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित डॉ.मिश्र मुंबई में निवास करते हैं।

हम सभी को पीने के लिए पानी की जरूरत हच्ती है। इंसान ही नहीं, बल्कि पशु-पक्षियों को भी पानी की जरूरत होती है। हम जिस जल का उपयोग पीने के लिए करते हैं उसे 'पेयजल'कहा जाता है। वैज्ञानिक तौर पर पेयजल में खनिजों की मात्रा कम होनी चाहिए। यह सुस्वादयुक्त तथा गंधहीन होना चाहिए। फिर भी पेयजल में आवश्यक खनिजों की न्यूनतम मात्रा की उपस्थित अनिवार्य है। यह अफसोस की बात है कि इस दिशा में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जल वैज्ञानिकों का मुख्य लक्ष्य जल प्रदूषकों के विषाक्त गुणों के निपटान की तरफ ज्यादा है। हाल के कुछ नए शोधों में पेयजल के लिए आवश्यक तत्वों की न्यूनतम मात्रा को निर्धारित करने का प्रयास हो रहा है। दूषित जल में अनेक हानिकारक तत्व पाये जाते हैं। ये स्वास्थ्य सम्बन्धी गंभीर समस्या पैदा करते हैं। इनमें आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट आदि प्रमुख हैं। इन हानिकारक रसायनचें की उपस्थिति जल को विषाक्त बनाती है। आर्सेनिकयुक्त जल का सेवन

करने से त्वचा, फेफड़ा, मूत्राशय तथा गुर्दा आदि के कैंसर की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। फ्लोराइडयुक्त जल के सेवन से फ्लोरोसिस की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। नाइट्रेट युक्त जल का उपयोग करने वाले प्रायः साइनोसिस का शिकार हो जाते हैं।

आवश्यक विशिष्टताओ के अतिरिक्त पेयजल में कुछ वांछनीय विशिष्टताएँ भी होती हैं। इन विशिष्टताओं की उपस्थिति से पेयजल की गुणवत्ता बढ़ जाती है। इनमें कुल घुलित ठोस (टी.डी.एस) की मात्रा 500.1500 मिलीग्राम/लीटर निर्धारित की गयी है। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, मैंगनीज़, सल्फेट आदि रासायनिक पदार्थ की निर्धारित मात्रा में उपस्थिति से पेयजल की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। जल में घुलित कुल ठोस पदार्थ (टी.डी.एस) को दो भागों में विभाजित किया जाता है- विलेय तथा अविलेय। विलेय भाग में अधिकतर लवण होते हैं, जैसे कि कार्बोनेट, बाईकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट तथा नाइट्रेट वगैरह। समुद्री जल अत्यधिक लवणीय होता है, जिसके कारण यह पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। सागरीय जल में पाये जाने वाले लवणो में सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड (77ण्8 प्रतिशत), मैग्नीशियम क्लोराइड (10.9 प्रतिशत) होते हैं। इसके अलावा अन्य लवणों में मैग्नीशियम सल्फेट (4.7 प्रतिशत), कैल्शियम सल्फेट (3.6प्रतिशत) तथा पोटैशियम सल्फक्ट (2.5 प्रतिशत) प्रमुख हैं। समुद्री जल में मिलने वाले सोडियम क्लोराइड का उपयोग खाने के नमक के रूप में किया जाता है। समुद्र के जल की तुलना में भौम जल, नदियो और झीलों के जल की लवण की मात्रा कम होती है। इसीलिए इसका उपयोग पीने के लिए किया जाता है। जल की पेयता जल में उपस्थित लवणों की मात्रा पर निर्भर करती है। अत्यधिक लवणीय जल, अथवा अनुपचारित लवणविहीन जल दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। *जारी ....*

इलेक्ट्रोनिकी आपके लिये से साभार

E ZONE CARE

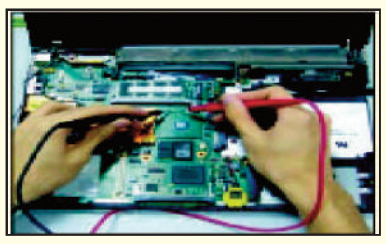

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

- **Repair your laptop with 3-month warranty.**

info@ezonecare.in, ezonecare.in

Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi 93108 96575, 70047 69511

Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm

SUNDAY CLOSED

क्या बाढ़ का कोई निदान नहीं?

बिहार के कुछ जिले अभी ही बाढ़ की चपेट में हैं। उधर आसाम भी बाढ की चपेट में है। वहां आम लोगों के साथ ही दर्जनों जंगली जानवरों की भी मौत हो चुकी है। दशक भर पहले बिहार में तो बाढ़ ने ऐसी तबाही मचायी थी किबिहार सरकार भी लाचार होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी थी।

यह सच है कि प्रकृति के ताकत के सामने मनुष्यों की कोई बिसात नहीं, पर बिहार में राज्य में बाढ़ से निबटने का कोई नया युक्तिसंगत प्रयास नहीं किया गया? राज्य के कुछ जिलों की नियति बन चुकी है कि वहां हर साल बाढ़ आना ही है। इस कारण से उन इलाकों के बाशिंदे भी बाढ़ के साथ ही जीना सीख गये हैं। वो पक्के मकान नहीं बनाते, बाढ़ के अनुसार ही खेती करते हैं और विस्थापन को मजबूर हैं।

स्कूली किताबों में हम सभी यह पढते आये हैं कि कुछ सालों के अंतराल के बाद आने वाली बाढ़ का पानी जब उतर जाता है तो वहां की धरती को उपजाऊ बना देता है, लेकिन यह बाढ़ अगर हर साल की नियति बन जाये तो यह एक वार्षिक आपदा है। बाढ चीन से लेकर यूरोप के कुछ देशों और अमेरिका में भी आती है, पर भारत जैसी बर्बादी कहीं और देखने को नहीं मिलती। यहां हजारो लोग हर साल बाढ़ में जान गंवाते हैं, लाखो बेघर होते हैं, लाखो वर्ग किमी की कृषि बर्बाद होती है और ये सब यहां के लिये सामान्य बातें हो चली हैं। बेहतर हो कि केंद्र और राज्य सरकारें अब इसके स्थायी निदान की सोंचे।

हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बिहार, आसाम बाढ़ के संकट से दो चार हैं। बिहार में हम सभी जानते हैं कि नेपाल की नदियों का पानी हर साल जब बिहार में आता है तो बाढ़ आना तय है। विशेषज्ञों से लेकर सरकार तक ये बातें तो स्वीकारती हैं, पर आज तक इसका कोई ठोस निदान नहीं ढुंढा गया है।

कोशी, गंडक, गंगा जैसी नदियां और इसमें नेपाल से आकर मिलने वाली सहायक नदियों का जलप्रवाह हर साल सिर्फ बाढ़ ही नहीं लाता है उस क्षेत्र विशेष के विकास में भी बाधक है। बिहार के कई जिलों की पहचान बाढ़ग्रस्त होने से ही है। सरकार को चाहिये कि जब समस्या की पहचान हो चुकी है तो इसके निदान के लिये कोई ठोस कदम उठाये जायें। नदियों को जोड़ने से लेकर वैसे बांधों का निर्माण जो राज्यों को हर साल के इस त्रासदी से मुक्त कराये।

मॉनसून का अनिश्चित होता ग्राफ

मौसम विज्ञानियों का कहना है कि पिछले कुछ दशकों में बरसात को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है और उसके पैटर्न में बदलाव आया है। देश के करीब 30 प्रतिशत इलाकों में बारिश कम हो गई है। भारतीय मौसम विभाग ने 1989 और 2018 के बीच 30 साल के आंकड़ों के आधार पर कहा है कि सात राज्यों में कुल सालाना बरसात काफी हद तक घट गई है। इनमें से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय और नागालैंड ऐसे राज्य हैं जहां मॉनसून की बारिश भी कम हो रही है।

मौसम पर नजर रखने वाली संस्था स्काइमेट वेदर के वाइस प्रेसीडेंट महेश पलावत कहते हैं, "हालांकि साल में कुल बरसात उतनी ही हो रही है लेकिन बारिश वाले दिनों की संख्या कम हो गई है। यानी कम दिनों में अधिक पानी बरस रहा है। इसका मतलब यह है कि या तो हमारे पास घनघोर बरसात वाले दिन हैं या फिर बिल्कुल सूखे दिन।''

कृषि या भूजल संरक्षण के हिसाब से यह हालात काफी चिंताजनक हैं। खासतौर से भारत जैसे देश के लिए जहां करीब 55 प्रतिशत खेती बरसात पर टिकी है और इसीलिए मॉनसून को 'देश का वित्तमंत्री' कहा जाता है। जानकार कहते हैं पहले धीरे-धीरे कई हफ्तों तक होने वाली रिमझिम बरसात न केवल खेती और बागवानी के लिए मुफीद थी, बल्कि वह ग्राउंड वॉटर रिचार्ज भी करती थी। लेकिन अब उतना ही पानी मूसलाधार बारिश की शक्ल में कुछ ही घंटों में बरस जाता है। इससे न केवल खेती का नुकसान होता है, बल्कि भूजल स्तर भी नहीं उठ पाता।

कई जिले हैं जहां पहले बहुत कम बारिश होती थी लेकिन वहां अब अधिक बरसात होने लगी है और इसी तरह पर्याप्त बरसात वाले कई जिलों में अब बारिश घट गई है। मौसम विभाग के मुताबिक सौराष्ट्र, कच्छ, दक्षिण-पूर्व राजस्थान, उत्तरी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बरसात वाले दिनों की संख्या बढ़ी है। इसी तरह दक्षिण-पश्चिम उड़ीसा के आंध्र प्रदेश से लगे हिस्से, छत्तीसगढ़, दक्षिण पश्चिम मध्यप्रदेश के इलाकों में भी घनघोर बारिश वाले दिनों का ग्राफ ऊपर गया है।

कोरोना से फैल रहा मेडिकल कचरा

रुचिका चित्रवंशी और सोहिनी दास

कोविड-19 संक्रमण के बाद अस्पतालों में बायो-मेडिकल वेस्ट (अस्पतालों में उपचार के बाद बचा कचरा) पांच गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल कोविड-19 के मरीजों के इलाज के बाद बचे सुरक्षा उपकरण, मास्क, दस्ताने, सुई आदि से पर्यावरण संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। इतना ही नहीं, इससे अस्पतालों का वित्तीय बोझ भी बढ़ गया है। फिलहाल इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि कोविड-19 के कारण देश में कितनी मात्रा में कचरा जमा हो रहा है, लेकिन कई राज्यों ने इनका अंबार कम करने के लिए बाहरी एजेंसियों की सेवाएं लेनी शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही ऐसा कचरा निपटाने के लिए औद्योगिक कचरा निपटान प्रणाली का भी सहारा लिया जा रहा है। इस बारे में फिक्की स्वास्थ्य सेवा समिति एवं मेडिका ग्रुप के चेयरमैन आलोक रॉय ने कहा, 'हम अपने समूह के अस्पतालों में रोजाना 1,500 पीपीई किट का निपटारा कर रहे हैं। सामान्य दिनों के मुकाबले इस समय पांच गुना अधिक कचरा जमा हो रहा है। अब हमें इन उपकरणों जैसे पीपीई किट आदि को संक्रमण मुक्त कर दोबारा इस्तेमाल के बारे में सोचना होगा वरना समस्या बहुत बढ़ जाएगी।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सभी अस्पतालों में बायो-मेडिकल कूड़े का हिसाब रखने के लिए एक मोबाइल ऐप शुरू किया है। सीपीसीबी ने अस्पतालों, देखभाल एवं पृथक्करण केंद्रों (आइसोलेशन सेंटर) के लिए कूड़ा प्रबंधन के दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस बारे में सीपीसीबी के सदस्य सचिव प्रशांत गार्गव ने कहा, 'यह निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। बायो-मेडिकल कचरे के प्रबंधन के लिए सबसे पहले सीपीसीबी ने दिशानिर्देश जारी किए थे। हमने स्थिति के अनुसार दिशानिर्देशों में संशोधन भी किए हैं। अब पूरा ध्यान क्रियान्वयन पर टिक गया है। सीपीसीबी के ऐप का इस्तेमाल देश के 27 राज्यों में हो रहा है। इस ऐप से जुटाए आंकड़े के अनुसार रोजाना कोविड-19 के उपचार के बाद 60 टन कचरा जमा हो रहा है। उत्तर दिल्ली नगर निगम के मेयर जय प्रकाश ने कहा कि लोक नायक अस्पताल सहित उनके क्षेत्र से 40 से 45 टन कचरा रोज जमा हो रहा है। लोक नायक अस्पताल दिल्ली में कोविड उपचार के बड़े केंद्रों में शुमार है। जय प्रकाश ने कहा कि चूंकि, कूड़ा एकत्र करने के लिए केवल सरकारी तंत्र नाकाफी हो सकता है, इसलिए एक निजी कंपनी को भी इस कार्य में लगाया गया है। उन्होंने कहा, 'कोविड-19 से साधारण रूप से संक्रमित मरीजों को उनके घरों में रखे जाने के बाद कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ गई है, इसलिए हमें भी अपनी क्षमता में इजाफा करना होगा। हमने उन घरों की भी पहचान कर रहे हैं, जहां कोविड-19 मरीज आइसोलेशन में हैं ताकि कूड़ा एकत्र करने में आसानी हो।' सीपीसीबी ने भी कूड़े का रोज अंबार लगते देख कचरा निपटान करने वाली संस्थाओं की सेवाएं लेनी शुरू कर दी हैं। सीपीसीबी ने औद्योगिक कचरा निपटान करने वाली जगहों में भी बायो-मेडिकल वेस्ट के निपटान की अनुमति दे दी है। गरगावा ने कहा, 'ग्रामीण क्षेत्रों में अमूमन कूड़ा निपटान की सुविधाएं नहीं होती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हम उन क्षेत्रों में गहरे गड्ढों में कचरा निपटाने की सलाह दे रहे हैं।हालांकि विस्तृत दिशा-निर्देश तो आ चुके हैं, लेकिन जागरूकता की कमी बड़ी चुनौती है जिस कारण कचरा उत्पन्न होने वाले स्थान पर कचरा छांटने में दिक्कत हो रही है और कचरा एकत्रित करने वाले जोखिम में पड़ जाते हैं।

सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरनमेंट की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा कि हमने हाल ही में एक निरीक्षण पूरा किया है। जब यह कचरा किसी पंजीकृत स्वास्थ्य देखभाल केंद्र से आता है, तो इस प्रणाली को भली-भांति निर्धारित और ठीक से प्रबंधित किया जाता है। हालांकि चूंकि कई लोग होम आइसोलेशन में रहते हैं, इसलिए दिक्कत यहीं हैं।पर्यावरण विशेषज्ञ भी उन अस्थायी स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में चिंतित हैं जो लक्षण वाले मरीजों को रखते हैं।

साइंस, इंटरनैशनल इंस्टीट्यूट फॉर एप्लाइड सिस्टम्स एनॉलेसिस की उप महानिदेशक लीना श्रीवास्तव ने कहा कि जानकारी के अनुसार इन केंद्रों में बुनियादी ढांचे और चिकित्साकर्मियों पर अधिक ध्यान केंद्रित रहता है। दूषित कचरे का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता या इनके स्थान पर प्रणाली पर कम या कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता है।न केवल देखभाल करने वाले केंद्र, बल्कि श्मशानघाट भी निशाने पर हैं। उदाहरण के लिए सीपीसीबी को दक्षिण दिल्ली के एक श्मशानघाट में बिना किसी एहतियात के पीपीई इधर-उधर फेंके जाने की शिकायतें मिलीं। प्रदूषण नियंत्रण संस्था का मानना है कि जो पीपीई पूरी तरह से प्लास्टिक से बने होते हैं, उन्हें पर्यावरण संबंधी प्रभाव कम करने के लिए जलाने के बजाय कीटाणुरहित किया जा सकता है। अस्पताल जहां भी संभव हो चीजों के पुनः उपयोग और इस्तेमाल के बाद फेंकने वाली चादरों, मरीजों के कपड़ों आदि से बचने को प्रोत्साहन देते हुए आर्थिक प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हैरानी की बात नहीं है कि मुंबई में इस कचरे को प्रबंधित करने के लिए अस्पताल का औसत बिल कोविड से पहले के दिनों की तुलना में एक महीने में पांच गुना से ज्यादा बढ़कर तकरीबन चार से साढ़े चार लाख रुपये हो गया है।

मुंबई के ग्लोबल हॉस्पिटल्स के ऑपरेशंस हेड अनूप लॉरेंस ने कहा कि कूड़ा प्रबंधन कंपनी - बीएमसी ने कोविड कचरे के प्रबंधन के लिए आउटसोर्सिंग की है। वह प्रति किलोग्राम कचरे के लिए अतिरिक्त 100 रुपये वसूल रही है। लॉरेंस ने कहा कि खान-पान के कंटेनर से लेकर बिस्तर के कपड़ों और मरीजों के वस्त्रों तक सभी को पहले हाइपो सॉल्यूशन में भिगोया जाता है और फिर शोधन चक्र से गुजारा जाता है। चूंकि मरीज का दबाव बढ़ता गया है, इसलिए इन चीजों का पुनः प्रयोग करवाया जा रहा है, लेकिन देखभाल के साथ।उपचार शुल्क की अधिकतम सीमा को ध्यान में रखते हुए मुंबई के अस्पतालों ने नगरपालिका के अधिकारियों से अनुरोध किया है कि उन्हें इस लागत का कुछ हिस्सा मरीजों पर डालने की अनुमति दी जाए। जल्द ही ऐसी अधिसूचना जारी किए जाने की उम्मीद है जिसमें मरीज कोविड-19 के कचरे की लागत का कुछ हिस्सा वहन कर सकते हैं, जो प्रतिदिन 300 से 325 रुपये हो सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि हालांकि सरकार ने चिकित्सा संबंधी कचरे का निपटान करने में शहर के स्थानीय निकायों की भूमिका को मान्यता दी है, लेकिन अगर उन्हें पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किए जा रहा है और सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं, तो ऐसे प्रयासों से सफलता सुनिश्चित होगी।

बाजारी ताकतों के रहमोकरम पर गरीब

देविंदर शर्मा

अमेरिका के पूर्व श्रम मंत्री रॉबर्ट ने एक दिन ट्वीट किया था 'अमेरिका के सबसे बड़े अमीर जो कुल आबादी का महज 1 फीसदी बनते हैं, उनके पास अमेरिकी स्टॉक मार्किट का आधे से ज्यादा हिस्सा है। साथ ही 10 प्रतिशत की संख्या वाले अमीर वर्ग के पास 92 प्रतिशत अंश है। इसलिए जब राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि स्टॉक मार्किट ही अर्थव्यवस्था है तो वह जानते हैं कि किसके बारे में कह रहे हैं। खैर, ट्रंप ही ऐसे अकेले राष्ट्राध्यक्ष नहीं हैं, जिनका मानना है कि ऊपर उठती स्टॉक मार्किट देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का प्रतिबिंब होती है। इस तरह की सोच रखने वाले नेताओं की फेहरिस्त काफी लंबी है। यह बताता है कि किस कदर क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने हमारे दिमागों में यह बात भर रखी है। यहां तक कि जिस दिन भारत की वित्त मंत्री ने वार्षिक बजट पेश किया था, तब भी तमाम निगाहें स्टॉक मार्किट पर थीं। जब पिछले सितंबर माह में निर्मला सीतारमण ने मंद पड़ी अर्थव्यवस्था के मद्देनजर घरेलू मांग को बढ़ावा देने हेतु अनेक उपायों की घोषणा की थी, उस वक्त भी कॉर्पोरेट टैक्स में 22 फीसदी की कमी करते हुए उद्योग जगत को 1.45 लाख करोड़ का भारी भरकम कर-राहत पैकेज थमा दिया गया था। अगले दिन स्टॉक मार्किट में इस पर जश्न मनाया गया था। शेयरों के भाव में 5 प्रतिशत तक का उछाल आया था, जो खबरों के अनुसार पिछले 10 सालों में सबसे ऊंचा था। अगर इतनी रकम गरीबों के हाथ में देने के लिए उलीकी गई होती तो भले ही स्टॉक मार्किट में तेजी न बनती लेकिन बाजार में वस्तु मांग अवश्य बढ़ जाती, जिससे आगे अर्थव्यवस्था को बल मिलता।

फिलवक्त भी, जब कोविड-19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को चौपट कर रखा है, तब भी स्टॉक मार्किट में शेयरों के भाव तेजी से ऊपर उठ रहे हैं। इसे देखकर नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री पॉल क्रुगमैन यह कहने से खुद को नहीं रोक पाए कि कुछ तो बहुत गलत चल रहा है। इसका सुबूत इस तथ्य में है कि मार्च 18 से जून 17 के बीच अमेरिका के सबसे बड़े खरबपतियों में से 614 की पूंजी में 584 खरब डॉलर का इजाफा हुआ है, जबकि इस दौरान बेरोजगार अमेरिकियों की संख्या में 4.55 करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। तिस पर तुर्रा यह कि 'क्वांटिटेटिव इंजिग' के उपाय हेतु अतिरिक्त करंसी नोट छापे गए हैं। फिच रेटिंग के मुताबिक 'ग्लोबल क्यू ई' पूंजी की खरीदो-फरोख्त 2020 में 6 ट्रिलियन डॉलर को छू जाएगी। वित्तीय और प्रॉप्रर्टी बाजार में उछाल लाने से अमीरों को और अधिक अमीर होने में मदद मिलती है। लेकिन आर्थिक मामलों पर चल रही बहसों में आम लोगों के हितों की खातिर क्यूई को काम में लेने की जरूरत पर कभी शायद ही कोई विचार-विमर्श होते पाया गया हो। यह बात समझ से बाहर है कि उक्त विषय आर्थिक मामलों की पढ़ाई का हिस्सा हो या मीडिया पर बहस हो, इस विषय को क्यों नहीं लिया जाता?

भारत में अभी भी उद्योग जगत इस बात को लेकर काफी यत्न कर रहा है कि कॉर्पोरेट टैक्स में आगे 15 प्रतिशत की कमी करवाकर 2.5 लाख करोड़ रुपयों की अतिरिक्त कर-राहत प्राप्त की जाए। इस पर ऑक्सफैम अध्ययन ने पहले ही कहा है कि अगर दुनिया के सर्वोच्च अमीरों पर अगले 10 सालों के लिए केवल 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कर बढ़ा दिया जाए तो वैश्विक स्तर पर 11.7 करोड़ नौकरियों का सृजन किया जा सकता है। अगर हम इसे आर्थिक रूप से देखें तो यह करना बहुत बड़ी अक्लमंदी होगी। समग्र एवं सतत विकास को बढ़ावा देने को लिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास मंच बताता है कि रोजगार और अच्छे पद वाली नौकरियों के सृजन अवसरों से अंततः विकास पैदा होता है। लेकिन तब मुख्यधारा के अर्थशास्त्री क्योंकर यह मांग नहीं करते कि सर्वोच्च अमीरों पर मामूली कर बढ़ोतरी से नौकरियों के अपार अवसर पैदा होंगे।

अर्थशास्त्री बर्नी सैंडर्स का कहना है कि पिछले 30 सालों में कुल आबादी का 1 प्रतिशत अंश बनते सबसे बड़े अमीरों की पूंजी में 22.65 ट्रिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि जनसंख्या का लगभग 50 फीसदी बनते समाज के निचले तबके की पूंजी में 776 खरब डॉलर का ह्रास हुआ है। बर्नी को अफसोस है कि पूंजी असमानता में बढ़ती यह खाई नैतिक रूप से 'अश्लील' है। भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार ने एक मर्तबा कहा था कि कॉर्पोरेट के ऋण माफ करने से आर्थिक विकास बनता है। तब उनसे यह सवाल क्यों किया गया कि जब कॉर्पोरेट और किसान एक ही बैंक से कर्ज लेते हैं तो फिर कॉर्पोरेट का कर्ज माफ कर देने से अगर आर्थिक विकास बनता है तो किसानों की कर्ज माफी से देश का राष्ट्रीय बही खाता कैसे विचलित हो जाएगा?

क्यों देश पुराने पड़ चुके उन आर्थिक सिद्धांतों पर आंख मूंदकर चलता रहे, जिनमें कहा जाता है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रम-बल को शहरी केंद्रों में स्थापित किए जाने की जरूरत है, क्या इसका मुख्य मंतव्य यह सुनिश्चित करना नहीं है कि कंपनियों को अपने शहरी मजदूरों को ऊंची तनख्वाहें न देनी पड़ें? क्या यह विचारधारा विशेष का अक्स नहीं है?

ऐसा क्यों है कि जब भी कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में अतिरिक्त निवेश की बात आती है तो इसे अर्थव्यवस्था पर बोझ की तरह लिया जाता है? मसलन वैश्विक महामारी का हथौड़ा पड़ने पर ही सरकार को अहसास हुआ कि सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या महत्व है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने हाल ही में कहा था: 'स्वास्थ्य तंत्र में भले ही सार्वजनिक-सरकारी भागीदारी बने, फिर भी सावर्जनिक क्षेत्र अपने जरूरी फर्ज निर्वहन से भाग नहीं सकता, क्योंकि अकेला निजी क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाएं देने में नाकाफी है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की अहमियत पर जोर देने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि अकेले वित्त आयोग की रिपोर्ट को ही देखें, जिसको लेकर आर्थिक शिक्षा क्षेत्र में खासी चर्चा चली है, क्या हमारे भावी अर्थशास्त्री इस ओर नजर डालेंगे कि मौजूदा आर्थिक नीतियां ऐसे ढांचे का निर्माण करती हैं जहां सामाजिक सरोकार वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश लगातार कम होता चला जाता है, जिससे आगे समाज में बहुत बड़े अंतर वाली आर्थिक असमानता पैदा होती है। तथापि सबसे बड़ा सबक यह है कि अगर ब्रिटेन अपनी कुल सकल उत्पादकता का 9.6 प्रतिशत स्वास्थ्य तंत्र पर खर्च सकता है तो भारत क्यों नहीं इस रास्ते पर चलते हुए और कुछ नहीं तो 6 प्रतिशत से ही सही, लेकिन शुरुआत तो करे? क्योंकर वर्ष 2011-12 से 2017-18 के बीच कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश जीडीपी का महज 0.4 फीसदी रहा है, वह भी तब जबकि यह क्षेत्र देश की कुल आबादी के लगभग 50 प्रतिशत हिस्से को रोजगार मुहैया करवाता है? क्योंकर गरीब सदा ही हाशिए पर रहकर जीने को विवश हैं जबकि अमीरों को लगातार भारी भरकम ऋण माफी, कर-राहतें और सब्सिडियां विकास को बढ़ावा देने के नाम पर थमाई जाती हैं? क्यों हमारा समाजवाद केवल अमीर के लिए है वहीं गरीबों को बाजार की ताकतों के रहमोकरम पर छोड़ दिया जाता है? क्यों विकास प्रकृति के विनाश की एवज में किया जाता है?

लेखक कृषि संबंधी विषयों के विशेषज्ञ हैं

वातावरण में लगातार बढ़ रहा है नाइट्रोजन उत्सर्जन: अध्ययन

एक अध्ययन में कहा गया है कि पशुओं की वजह से हर साल 65 ट्रिलियन ग्राम नाइट्रोजन पर्यावरण में फैल रही है। शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने लोगों के माध्यम से भारी मात्रा में वातावरण में जारी होने वाली नाइट्रोजन के प्रभाव का मूल्यांकन किया है। मूल्यांकन के इस काम में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन भी शामिल थे। हर साल वातावरण में जारी होने वाली इस नाइट्रोजन का पर्यावरण और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रिक एसिड, अमोनिया बनाने में होता है। अमोनिया से उर्वरक, नायलॉन, दवाओं और विस्फोटकों का उत्पादन किया जाता है।जैसा कि शोधकर्ताओं ने बताया, पर्यावरण में जारी मानव-संबंधित नाइट्रोजन की मात्रा पिछले कई दशकों से लगातार बढ़ रही है। वायुमंडल में बहुत सी गैसे पहले से ही है, नाइट्रोजन की मात्रा के बढ़ने से लोगों का जीवन खतरे में आ गया है। यह शोध पत्र नेचर फूड नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

इस नए प्रयास में, शोधकर्ताओं ने वातावरण में जारी नाइट्रोजन की मात्रा को मापने का प्रयास किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि हम ग्रहों की सीमा (प्लेनेटरी बाउंड्री) के कितने करीब आ रहे हैं। ग्रहों की सीमा (प्लेनेटरी बाउंड्री) एक अवधारणा है जिसमें पृथ्वी में होने वाली प्रक्रियाएं पर्यावरणीय सीमाओं के अंदर होने की बात कही गई है। ग्रहीय सीमाएं स्पष्ट रूप से वैश्विक स्तर के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इसका उद्देश्य औद्योगिक क्रांति से पहले मौजूद सुरक्षित सीमाओं के भीतर पृथ्वी को बनाए रखना है।

20 फीसदी प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर

इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजरवेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर की लगभग 20 फीसदी प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं। आईयूसीएन द्वारा विलुप्ति के खतरे से जूझ रही प्रजातियों की एक रेड लिस्ट जारी की जाती है। इस बार यह लिस्ट 18 जुलाई को जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि अगर हालात नहीं सुधारे तो कई अन्य प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं।

आईयूसीएन की यह लिस्ट 1,05,732 प्रजातियों के आकलन के बाद तैयार की गई है। अब तक 1 लाख प्रजातियों पर ही अध्ययन किया गया था, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ गया है। आईयूसीएन के कार्यवाहक महानिदेशक ग्रेटेल एगिलर ने कहा कि नये अपडेट से पता चलता है कि दुनिया भर के मानव वन्यजीवों की तुलना में कितने अधिक हैं। नई सूची के अनुसार 28,338 प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है।

हाथी गलियारों में खत्म हो मनुष्यों की घुसपैठ

दीपक कोहली

वन एवं वन्यजीव संरक्षण विशेषज्ञों के अनुसार हाथियों के झुंड प्रतिवर्ष तकरीबन 350-500 वर्ग किलोमीटर पलायन करते हैं। परंतु तेजी से खंडित होते प्राकृतिक परिदृश्यों ने इस वृहद् आकर वाले स्तनधारी जानवरों को मनुष्यों की रिहायशी बस्ती में प्रवेश करने को मजबूर कर दिया है। यही कारण है कि आए दिन समाचारों में मनुष्य-पशु संघर्ष की खबरें मिल जाती हैं। हाथियों के जीवन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से ही हाथी गलियारे का निर्माण किया गया। हाथी गलियारा न केवल हाथियों के लिए बल्कि मनुष्यों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।

एक अध्ययन 'राइट ऑफ पैसेज' में भारत में अवस्थित 101 हाथी गलियारों की जानकारी प्रदान की गई थी। गौरतलब है कि इन 101 गलियारों में से 28 दक्षिण भारत में हैं, जबकि मध्य भारत में 25, पूर्वोत्तर भारत में 23, उत्तरी पश्चिम बंगाल में 14 और उत्तर-पश्चिमी भारत में 11 हाथी गलियारे हैं। जिस क्षेत्र में अधिक से अधिक जंगलाच्छादित क्षेत्र हैं, वहां उसी केअनुपात में अधिक हाथी गलियारे हैं। यदि मानव बस्तियों के समीप पशु निवास स्थानों को स्थापित किया जाएगा, तो भविष्य में मानव-पशु संघर्ष की घटनाओं में और वृद्धि होना कोई हैरानी की बात नहीं होगी। सबसे ज्यादा हाथी गलियारे प. बंगाल (14) में हैं, उसके बाद तमिलनाडु (13) और उत्तराखंड (11) का स्थान आता है।

वर्ष 2005 और 2017 की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि हाथी गलियारों के क्षरण की स्थिति बेहद गंभीर है। इस अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2017 के 21.8 फीसदी की तुलना में वर्ष 2005 में 22.8 फीसदी गलियारे मानव हस्तक्षेप से मुक्त थे। इसी प्रकार 2017 में 45.5 फीसदी बस्तियां अवस्थित थी, जबकि वर्ष 2005 में मात्र 42 फीसदी बस्तियां ही थीं। वर्ष 2005 के 24 फीसदी की तुलना में वर्ष 2017 में मात्र 12.9 फीसदी गलियारे ही पूरी तरह वनावरण के तहत आते हैं।मात्र आठ हाथी गलियारों को राज्य के वन विभागों सहित वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय. डब्ल्यू.टी.आई. और अन्य संरक्षण संगठनों द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है। अतः संरक्षण की इस प्रक्रिया को और अधिक विस्तृत किए जाने पर बल देना चाहिए।

गौरतलब है कि हाथी गलियारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 'गज यात्रा' शुरू करने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें हाथियों की पहुंच वाले तकरीबन 12 राज्यों में रोड शो के माध्यम से स्थानीय कारीगरों द्वारा निर्मित हाथी मॉडलों की परेड की जाएगी। अभी देश के प्रत्येक तीन हाथी गलियारों में से दो कृषि गतिविधियों से प्रभावित हैं।

उत्तर-पश्चिम भारत में लगभग 36.4 फीसदी, मध्य भारत में 32 फीसदी, उत्तरी पश्चिम बंगाल में 35.7 फीसदी और पूर्वोत्तर में 13 फीसदी हाथी गलियारों के पास से रेलवे लाइनें गुजरती हैं। 11 फीसदी गलियारों के पास से नहरें गुजरती हैं, जबकि 12 फीसदी गलियारे खनन कार्यों से प्रभावित हैं। इसके अलावा, लगभग दो-तिहाई गलियारों के पास से या तो राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग गुजरता है। इससे न केवल हाथियों का निवास स्थान प्रभावित होता, बल्कि उनकी अन्य गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं। हाथियों की गतिविधियां बाधित न हों, इसके लिए 20 फीसदी गलियारों में वाहनों के लिए ओवरपास की तत्काल जरूरत है।

वस्तुतः हाथी गलियारों को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया में समुदायों को शामिल करना अधिक महत्वपूर्ण है। उस क्षेत्र से लोगों की बेदखली इसका जवाब बिल्कुल नहीं है। गांवों को स्थानांतरित करने के बजाय हमें गलियारे को पुनर्स्थापित करने और लोगों को महत्वपूर्ण हाथी प्रवास वाले मार्गों का उपयोग करने से रोकने की आवश्यकता है। जाहिर है, हाथी गलियारों के संरक्षण एवं रख-रखाव के विषय में शीघ्र ही कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार के साथ-साथ स्थानीय लोगों, संस्थाओं तथा सरकारी एवं निजी संगठनों द्वारा प्रयास किए जाने की जरूरत है, तभी इसका अपेक्षित लाभ मिल सकेगा।

भाजयुमो ने किया वृक्षारोपण

रांची : भारतीय जनता युवा मोर्चा हरमू मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वृक्षारोपण किया गया। महानगर के अध्यक्ष के के गुप्ता उपाध्यक्ष वरुण कुमार साहू अध्यक्ष गोपाल सोनी जी,अरबिन्द सिंह पिन्टू जी,मण्डल के भाजयुमो अध्यक्ष पिंटू पासवान विवेक सिंह तरुण जयसवाल ने पौधारोपण में भाग लिया।

महानगर अध्यक्ष ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें वृक्ष लगाने की आवश्यकता है और वृक्ष की सेवा करने की भी आवश्यकता है तभी हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा।

दिल्ली में अवैध रूप से चल रहे 30,000 उद्योग बंद करने होंगे

एजेंसियां : दिल्ली के नगर निगमों को चाहिए कि वो आवासीय और गैर औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों को लाइसेंस / एनओसी प्रदान करने से पहले दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में दिए प्रावधानों का पालन करे। यह जानकारी दिल्ली सरकार द्वारा एनजीटी के सामने प्रस्तुत रिपोर्ट में सामने आई है। यह रिपोर्ट दिल्ली के आवासीय और गैर औद्योगिक क्षेत्रों चल रहे उद्योगों के मामले में प्रस्तुत की है। रिपोर्ट के अनुसार आवासीय और गैर औद्योगिक क्षेत्रों में चल रही 21,960 इकाइयों को बंद कर दिया गया है जबकि अभी भी करीब 30,000 ऐसी इकाइयां हैं, जो अवैध तरीके से चल रही हैं और जिन्हें बंद करना जरुरी है। दिल्ली के इंडस्ट्रीज कमिश्नर ने बताया है कि 2021 के मास्टर प्लान के अंतर्गत 33 औद्योगिक क्षेत्रों और 23 औद्योगिक क्लस्टर को अनुमति दी गई है जिनका पुनः विकास किया जाना है इन क्षेत्रों में केवल उन उद्योगों को छोड़कर जिन्हें निषिद्ध किया गया है और जो हानिकारक हैं, सभी को चलाने की अनुमति है। इसके अलावा नए मास्टर प्लान में घरेलू उद्योगों को आवासीय और गैर औद्योगिक क्षेत्रों और गावों में भी चलाने की अनुमति दी गई है। बशर्ते वो श्रेणी 'ए' में आते हों। लेकिन इन इकाइयों को पहले दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से सहमति लेनी होगी। साथ ही यह भी तय किया गया है कि बिजली वितरण कंपनियां और दिल्ली जल बोर्ड 11 किलोवाट से अधिक के कनेक्शन वाली घरेलू इकाइयों की आपूर्ति को बंद कर देंगे। रिपोर्ट के अनुसार नगर निगमों को अब तक लाइसेंस के लिए 2104 आवेदन प्राप्त हुए हैं जोकि नगर निगमों के फैक्ट्री लाइसेंसिंग विभाग के पास लंबित है। साथ ही सरकार ने अवैध इकाइयों से मुआवजा वसूलने के लिए और अधिक समय देने का अनुरोध कोर्ट से किया है।

लॉकडाउन खत्म होने के बाद चीन में फिर बढ़ा प्रदूषण का स्तर

चीन में एक लम्बे लॉकडाउन के खत्म होने के बाद जैसे-जैसे जीवन पटरी पर लौटने लगा है वैसे-वैसे वहां की हवा एक बार फिर दूषित होने लगी है । वैज्ञानिकों के अनुसार वहां हवा में पीएम 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों के स्तर में वृद्धि दर्ज की गयी है जिसके लिए उद्योगों को एक बड़ी वजह माना जा रहा है।गौरतलब है कि इस महामारी से हुए आर्थिक नुकसान को भरने के लिए चीन ने अपनी औद्योगिक गतिविधियां तेज कर दी हैं जिसके कारण हवा में यह बदलाव आ रहा है ।

रेलवे स्टेशनों का किया जाए पर्यावरण मूल्यांकन: एनजीटी

एजेंसियां

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) / प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) की टीमों ने फरवरी-मार्च, 2020 के दौरान पर्यावरण का मूल्यांकन करने के लिए 36 रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया था।

सीपीसीबी को रेलवे अधिकारियों से पत्र प्राप्त हुआ था जिसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों को लाल / नारंगी / हरी श्रेणी में वर्गीकृत करने के बारे में जानकारी प्राप्त करना था, साथ ही इसको पूरा करने के लिए एसपीसीबी/ पीसीसी से सहमति प्राप्त करना था।

सीपीसीबी और रेलवे स्टेशनों की विशेषज्ञ समिति द्वारा रेलवे स्टेशनों की प्रदूषण क्षमता से संबंधित जानकारी का आकलन किया और उन्हें लाल / नारंगी / हरे रंग की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। यह सारी जानकारी सीपीसीबी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के अनुपालन में एक रिपोर्ट में संकलित की है।

एनजीटी ने सीपीसीबी और संबंधित एसपीसीबी / पीसीसी की एक संयुक्त टीम को निर्देश दिया था। इन कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन में जल अधिनियम, वायु अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुपालन के संदर्भ में प्रमुख रेलवे स्टेशनों का मूल्यांकन करना था। विशेष रूप से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, खतरनाक और अन्य अपशिष्ट नियम 2016, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट नियम 2016, निर्माण और तोड़ने संबंधित अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 शामिल थे। राज्य पीसीबी / पीसीसी को जल अधिनियम 1974 की धारा 25 और रेलवे के वायु अधिनियम 1981 की धारा 21 के अनुपालन में सीपीसीबी के माध्यम से रिपोर्ट सौंपनी थी।

31 दिसंबर तक बंद करना होगा आरओ का इस्तेमाल

एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय को 20 मई, 2019 के अपने आदेश में निर्धारित तरीके से आरओ के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए एक अधिसूचना जारी करने को कहा था देश में रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) तकनीक के उपयोग के कारण पानी की अत्यधिक हानि हो रही है ।इस मामले पर 13 जुलाई 2020, को एनजीटी के न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति सोनम फिंटसो वांग्दी की दो सदस्यीय पीठ में सुनवाई हुई। अदालत ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को 20 मई, 2019 के अपने आदेश में एनजीटी द्वारा निर्धारित तरीके से आरओ के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए एक अधिसूचना जारी करने को कहा था, पर ऐसा नहीं किया गया। इस देरी पर अदालत ने मंत्रालय से जवाब मांगा। एक वर्ष बीतने के बाद भी, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने लॉकडाउन के कारण समय बढ़ाने की मांग की थी। अदालत ने निर्देश दिया कि आवश्यक कार्रवाई अब 31 दिसंबर, 2020 तक पूरी की जानी चाहिए। मामले को 25 जनवरी, 2021 को फिर से विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

होशंगाबाद में मूंग पर जहरीला छिड़काव कर रहे हैं किसान

राकेश कुमार मालवीय

मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के गांवों में इन दिनों हर किसी की जुबान पर ''सफाया'' शब्द है। यह शब्द एक दवाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका नाम पैराक्वाट डायक्लोराड-24 एसएल नॉन सिलेक्टिव है। यह एक खतरनाक रासायनिक मिश्रण है। जिस पौधे पर इसका छिड़काव होता है, उसकी पत्तियां केवल दो घंटे के भीतर पीली पड़ जाती हैं। अगले बारह से चौबीस घंटे में पूरा पेड़ सूख जाता है। जिले में मूंग की फसल को जल्दी काटने के लिए इन दिनों इस रसायन का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है।

गर्मी की मूंग तकरीबन दो माह की अवधि में पककर तैयार हो जाती है। एक बार फलियां पक जाने पर यह जरूरी हो जाता है कि उसके पौधे को दवा का इस्तेमाल कर सुखा दिया जाए। मॉनसून की कवायद और खरीफ फसल के लिए खेत तैयार करने की जल्दबाजी में इतना समय नहीं होता कि मूंग का प्राकृतिक तरीके से सूखने का इंतजार किया जाए। हार्वेस्टर से काटने के लिए फसल का सूखा होना जरूरी है। इसलिए किसान यह जानते हुए भी कि यह दवा बेहद खतरनाक है, इसका इस्तेमाल करते हैं। फलियों में दाने भर जाने पर जब इस फसल को काटने की बारी आती है, तो इस पर पैराक्वाट डायक्लोराइड दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर कीटनाशक खरपतवार के लिए होते हैं, लेकिन इस दवा को यहां बोलचाल की भाषा में सफाया कहते हैं, क्योंकि इसके सामने जो भी आता है, उसे यह साफ कर देती है। यह एक नॉन सिलेक्टिव खरपतवारनाशक दवा है।

विदेशों में बैन है पैराक्वाट डायक्लोराइड एसएल

पैराक्वाट डायक्लोराइड एसएल एक बहुत ही खतरनाक दवा है। रिटायर्ड प्रोफेसर व कृषि मामलों पर लिखने वाले कश्मीर सिंह उप्पल बताते हैं कि मूंग की फसल के लिए यह बहुत खतरनाक स्थिति है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसे क्लास टू खतरनाक जहर की श्रेणी में रखा है। इसका आज तक एंटीडोज नहीं बनाया जा सका है। इस दवा का इस्तेमाल खासकर मैदानी इलाकों में घास और खरपतवार खत्म करने के लिए किया जाता है। कई अफ्रीकी, एशियाई, यूरोपीय यूनियन, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में इस पर प्रतिबंध है। अमेरिका में इसे इस्तेमाल करने के लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन भारत में केवल अकेले केरल में इसका प्रयोग मना है। उप्पल बताते हैं कि इतनी खतरनाक दवा का सामान्य तरीके से एक खाने वाली फसल पर इस्तेमाल करना सेहत के लिए सही नहीं है। वह बताते हैं कि इस दवा को सीधे तौर पर पौधे की पत्तियों और फलियों पर डाला जाता है, अब सोचिए कि जिसे फल की अंतिम अवस्था में डाला जाता हो, उसे खाने से मानव शरीर पर कितना घातक असर पड़ेगा।

पद्मश्री पुरस्कृत कृषक बाबूलाल दाहिया कहते हैं कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में इस तरह की कृषि नहीं देखी जिसमें दवा का इस्तेमाल करके पौधों को मारा जाता है। इसका कारण है कि आधुनिक खेती ने मित्र कीटों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। लालच की खेती ने मानव स्वास्थ्य को एक बड़े खतरे में धकेल दिया है। होशंगाबाद जिले के युवा कृषक आशुतोष लिटोरिया बताते हैं कि इस दवा का इस्तेमाल नहरों के आसपास उगी खरपतवार को साफ करने में भी किया जाता है, लेकिन इससे नहर किनारे की हर वनस्पति का सफाया हो गया, इसके कारण नहरों में मिट्टी कटाव तेज हो गया।

रांची जिले में इस वर्ष छह लाख पौधे लगाने का लक्ष्य

वन प्रमंडल के नर्सरी में तैयार किये गये पौधे

प्रादेशिक वन प्रमंण्डल रांची , पूरे जिले भर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चला रहा है। प्रादेशिक वन प्रमंडल रांची के अंतर्गत तीन नर्सरी बुड़मू, धुर्वा, एवं महिलौंग में संचालित हैं। यहां पर शीशम, सागवान, गम्हार, नीम, बांस, आम एवं कटहल के पौधे तैयार किये जाते हैं। पौधों का उत्पादन पॉली ट्यूब एवं रूट जूट से किया जाता है। नर्सरी से आम लोग पांच रूपये प्रति मूल्य पौधा देकर पौधा ले सकते हैं। डीएफओ सबा अहमद अंसारी ने बताया कि रांची जिले में इस वर्ष छह लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। विभाग 30 हेक्टेयर में किये गये पौधारोपण पर एक वाचर को रखता है जो तीन -चार वर्षो तक पौधों की देख भाल करता है। पौधों के खराब हो जाने पर उसी स्थान पर दूसरा पौधा लगा दिया जाता है।

मंडल रेल प्रबंधक ने भारत स्काउट एंड गाइड को पुरस्कृत किया

संवाददाता

रांची : 14जुलाई को मंडल रेल प्रबंधक तथा अध्यक्ष भारत स्काउट एंड गाइड राँची मंडल नीरज अम्बष्ठ ने अपने सभाकक्ष में लॉकडाउन अवधि में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए कुल 15, भारत स्काउट एंड गाइड को प्रशस्ति पत्र एवं नगद राशि देकर पुरस्कृत किया।

लॉकडाउन से पहले यात्री कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर काफी भयभीत थे तथा लोगों में जागरूकता की कमी थी । इस संक्रमण की स्थिति में भारत स्काउट एंड गाइड द्वारा ट्रेनों में, प्लेटफार्म में, रेलवे स्टेशन परिसर में, रेलवे स्टेशन के आसपास एवं रेलवे कॉलनियो में पोस्टर, बैनर तथा लीफ लेटस द्वारा जागरूकता अभियान राँची रेल मंडल के मुख्य स्टेशनों में चलाया गया। यात्रियों के लिए समुचित व्यवस्था करने में भारत स्काउट एंड गाइड ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रतिदिन आने वाले यात्रियों को नियत समय में ट्रेन से सुरक्षित उतरने में मदद करना तथा स्टेशन के बाहर बसों में चढ़ने के लिए मार्गदर्शित करना, सामाजिक दूरी तथा कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल को पालन करना, रेल सुरक्षा बल तथा राज्य पुलिस को सहयोग करना। श्रमिक ट्रेनों से आने वाले यात्रियों को भोजन तथा पीने का पानी एवं अन्य सामग्री वितरित करना आदि कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया एवं पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य किया।

इस उत्कृष्ट कार्य के लिए मंडल रेल प्रबंधक तथा अध्यक्ष भारत स्काउट एंड गाइड राँची मंडल नीरज अम्बष्ठ ने जी.रामा राव, मुकेश कुमार विश्वकर्मा, योगेश कुमार साह, सुमित कुमार मंडल, सोनू कुमार, सूरज मुखी, राजू सरदार एवं के.तिरुपति राव को नगद राशि एवं प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया, बधाई दी एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इस अवसर पर अप्पर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) तथा डिस्ट्रिक्ट चीफ कमिश्नर भारत स्काउट एंड गाइड एम एम पंडित, वरिष्ठ मंडल अभियंता अमित कंचन ,वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक सह मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी तथा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर भारत स्काउट एंड गाइड नीरज कुमार तथा डिस्ट्रिक्ट आर्गेनाइजर कमिश्नर भारत स्काउट एंड गाइड सुदीप मंडल उपस्थित थे।

..मशरूम पैन अब कंपोस्ट में उपयोग होंगे

....पेज 1 का शेष

उन्होंने कहा कि इस अवशेष का अति आम्लिक, बंजर एवं पथरीली भूमि में लगातार 5-6 वर्षो तक प्रयोग से उपजाऊ भूमि में बदला जाना संभव है। इस सड़े अवशेष से सब्जी फसलों एवं फलदार वृक्षों की सफलता पूर्वक खेती की जा सकती है। उन्होंने वैज्ञानिकों को इस दिशा में व्यापक शोध कार्य करने का निर्देश एवं मार्गदर्शन दिया। इस मशरूम उत्पादन ईकाई में पूरे वर्ष में 5 प्रकार के मशरूम का उत्पादन किया जाता है। गर्मी में धान पुआल मशरूम व सफ़ेद दुधिया मशरूम, बरसात में वायस्टर मशरूम (गुलाबी, सफ़ेद एवं नीला) व ढिंगरी मशरूम तथा जाड़े में सफ़ेद बटन मशरूम का उत्पादन एवं तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा ईकाई में 3, 7 एवं 15 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है। ग्रामीण किसान अमूमन 7 दिनों का प्रशिक्षण पसंद करते है। 3 एवं 7 दिनों का प्रशिक्षण शुल्क 300 रूपये प्रति दिन है। 15 दिनों का प्रशिक्षण मशरूम उत्पादन में प्रयुक्त स्पॉन बीज उत्पादन से सबंधित है। इसका प्रशिक्षण शुल्क 10 हजार रूपये है। ईकाई में अच्छी गुणवत्ता वाली सत्यापित स्पॉन बीज की भी बिक्री की जाती है। इसके आलावा हर वर्ष कृषि स्नातक छात्रों को 6 महीने का अनुभावात्मक अध्ययन कार्यक्रम के तहत व्यावसायिक मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

कांके डैम बचाओ आंदोलन के लिये राष्ट्र निर्माण सेना ने की पदयात्रा

रांची :कांके डैम बचाओ आंदोलन को जारी रखते हुए रविवार को सुबह छः बजे से फुटबॉल मैदान ,सोसो से रौक गार्डन तक पदयात्रा सह सत्याग्रह किया गया। उसके पहले सोसो,फुटबॉल मैदान में मार्निंग वाकर्स महिलाओं और पुरुषों ने हस्ताक्षर कर अपना समर्थन दिया साथ ही समिति के सामने बड़े पैमाने में शराब की बोतल व अन्य अवांछित वस्तु को यहाँ वहाँ फेंकने तथा शराबियों पर रोक लगाने की बात कही। इसको ध्यान में रखते हुए आज शाम पाँच बजे शराबियों और मनचलो के खिलाफ अभियान शुरू किया जाएगा।

कार्यक्रम में राष्ट्र निर्माण सेना के अध्यक्ष तथा समिति के संरक्षक अमृतेश पाठक,रमेश मुंडा,मंटू मुंडा, पिंटू मुंडा, सियाराम सिंह,मनोज मुंडा,राहूल शर्मा,अमित कुमार,आनंद कुमार,हिमांशू सिंह , आजू मुंडा,बिरसा मुंडा,संतोष लोहरा आदि शामिल हुए।

कचड़ा प्रबंधन पर उत्तरप्रदेश सरकार से एनजीटी ने जतायी नाराजगी

एजेंसियां

हानिकारक कचरे के ठीक से निपटान न करने पर एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर नाराजगी व्यक्त की है। मामला उत्तर प्रदेश के रानिया, कानपुर देहात और राखी मंडी से जुड़ा है। जरुरी है कि हानिकारक कचरे के निपटान में पूरी सावधानी बरती जाये पर उत्तरप्रदेश सरकार इस कचरे के निपटारे में वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल नहीं कर रही है

हानिकारक कचरे का ढेर 1976 से है जिसकी वजह से वहां जमीन में मौजूद जल दूषित हो रहा है इसका असर वहां के जीव-जंतुओं और रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है साथ ही वहां का इकोसिस्टम भी प्रभावित हो रहा है इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने 4 फरवरी को एक रिपोर्ट सबमिट की थी इसके बाद 11 जून को एक और रिपोर्ट कोर्ट के सामने प्रस्तुत की गई इस मामले में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने भी 14 जुलाई को अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी थी

उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी, उसमें पर्यावरण की बहाली के लिए कार्ययोजना तैयार की गई थी साथ ही वहां रहने वाले लोगों के लिए भी जल की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाए थे। इसके साथ ही जून 2020 में सबमिट रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि इसके हानिकारक प्रभाव को काम करने की योजना अभी पहले चरण में है जबकि कोर्ट के अनुसार सीपीसीबी की रिपोर्ट बहुत सामान्य है। इस मामले में एनजीटी ने 16 जुलाई, 2020 को एक आदेश पारित किया थो जिसमें कहा गया था क्रोमियम का यह डंप जहरीले रसायनों से भरा है जो स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक है बार-बार निर्देश जारी करने के बाद भी कचरे के इस ढेर को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपचार, भंडारण, और निपटान की सुविधा (टीएसडीएफ) में नहीं भेजा गया थो जोकि उसके ढीले रवैये को दिखाता है।

गौरतलब है कि इसके हानिकारक प्रभाव को तभी ख़त्म किया जा सकता है जब इस कचरे के ढेर को निपटान के लिए भेज दिया जाऐ। यदि ढिलाई बरती जाएगी तो स्थिति और गंभीर हो सकती है ऐसे में कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्यवाही करे और काम को प्राथमिकता के साथ तय सीमा में ख़त्म करे जिसे मुख्य सचिव द्वारा स्वयं मॉनिटर करने के आदेश दिए हैं। साथ ही इस मामले में कोर्ट ने एक संयुक्त जांच समिति का भी गठन किया है यह समिति इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.वी.एस राठौर की अध्यक्षता में गठित की गई है यह समिति इस मामले में हो रही प्रगति की जांच कर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करेगी।

स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान ने किया

आओ पेड़ लगाये कार्यक्रम

रांची :12 जुलाई को 2020 को संध्या 4.00 बजे HEC कालोनी के अयप्पा मंदिर से क्रिकेट स्टेडियम की तरफ जाने वाली सड़क के किनारे SCRB कैम्प ATS के सामने 'स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान' द्वारा "आओ पेड़ लागाएं" कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण कर दर्जनों वृक्ष लागाए गए । इस अवसर पर संस्थान के महासचिव 'प्रकृति सेवक शशि भूषण ओझा मुकुल' ने अपना विचार रखते हुए कहा कि पेड़ों से हवा और हवा से जीवन है । बिन पेड़ों के जीवन की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है । प्रकृति को संतुलित रखने एवं धरती से प्रदूषण से मुक्त करने हेतु पेड़ों को लगाना अत्यंत ही आवश्यक है । यह कार्यक्रम जानेमाने समाजसेवी पर्यावरण प्रेमी अरुण कुमार पाण्डेय जी की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ । अरूण पाण्डेय ने संस्थान के कार्यों की प्रशंसा करते हुए नीम का वृक्ष लागाया और कहा कि वृक्षारोपण से ही पर्यावरण सुरक्षित रह पाएगा

इस कार्यक्रम में अरुण कुमार पाण्डेय, प्रकृति सेवक शशि भूषण ओझा मुकुल, पंकज सिंह, मृणाल चौबे, मन्जू सिंह, बब्लू पांडेय, नीलम चौधरी, राजेश्वर द्विवेदी, कुमारी अनुपमा, अभय कुमार गोलू, रंजीत गुप्ता, सुधांशु चौबे, सिमरन देवी, विनय साही और सुलेमान अहमद सहित कई पर्यावरण प्रेमीगण मुख्य रुप से उपस्थित रहे ।

फोटो न्यूज

प्रकृति का सनातन सौंदर्य है सावन

अजय कुमार

हमारे जीवन में आषाढ़ से ऋतुराग का आगमन होता है। बारिश के संग चेतना पर राग और सत्व का बरसात होता है। आषाढ जीवन में आभार का मास है, तो सावन सम्मान का। भारतवर्ष के ऋतुचक्र में सावन अंतर में गहरे पैठने का माह है। आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी से जीवन में अकर्म का चातुर्मास शुरू होता है और कार्तिक मास में देवउत्थान एकादशी तक ज्ञान, भक्ति, सत्संग के माध्यम से चेतना में गहरी यात्रा की जाती है। हिंदु जीवन में वर्षा के चार मासों को एक साथ जोड़ कर चातुर्मास बनाया गया। जब बारिश से जीवन थम जाए तो, विराम के क्षण में खुद की अंतर्यात्रा की जाए। प्रकृति के साथ समन्वय एवं सामंजस्य के साथ जीवन जीते हुए व्रत, पर्व और ऋतु के माध्यम से खुद को सजग रखना की तैयारी आसाढ़ से शुरू हो जाती है।

सृष्टि के मूलभूत सार को समझने का सावन अवसर है। शिवतत्व के साथ जब हम अंतर्यात्रा करते है तो प्रकृति के साथ साथ हम एकाकार होते है। अपने समाज एवं परिवार की विकृतियों को दूर करते हैं। ये उत्सव, त्योहार और इससे जुड़ी चिंतनधारा हमें सजग बनाते हैं। एक कथा है-उरुबेला कश्यप ने महात्मा बुद्ध से जब सृष्टि के मूलभूत सार के संबंध में सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि सभी पदार्थ अपने अस्तित्व के लिए अन्य सभी पदार्थों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए पेड़ का एक पत्ता। इसमें पृथ्वी, जल, वायु, ऊष्मा, बीज, वृक्ष, मेघ सूर्य, देश-ाकाल सभी तत्वों की विद्यमानता से ही इस पत्ते की सत्ता होती हैं यदि इनमें से कोई भी एक तत्व विद्यमान न हो तो यह पत्ता विद्यमान नहीं रह सकता है। जड़ या चेतन सभी प्राणी परस्पर निर्भरता के अनुरुप सह-वर्द्धन के विद्यान के अनुसान ही विकास करते हैं। एक पदार्थ के विकास का कारक तत्व अन्य सभी पदार्थ होते हैं। ये चार्तुमास हमको ज्ञान और शिक्षा का विस्तार देते है ताकि कर्म पथ पर विचलन न हो। सावन में जल के साथ धरती का उत्सव शुरू होता है। यह माहौल बनाता है। जल की सजलता जब हमारे जीवन को उदार बनाती है, तब भक्तिभाव के साथ आदर पूर्वक हम कार्तिक तक विविध उत्सवों के माध्यम से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते है।

सावन हमारे जीवन में प्रकृति के सुरीले सरगम का दस्तक है। दस्तक अंतर देह में यात्रा करने की तैयारी का। हर क्षण उस शिव तत्व को अनुभव करने का। शिव तत्व के साथ जुड़ना और हरेक क्षण उसके अनुभव करना। अंतर देह में हम जितनी अधिक चेतना का संचार करते है, उसकी स्पंदन की आवृत्ति उच्चतर होती जाती है और हम सदैव श्रेष्ठ मानवीय गुण के साथ यात्रा करते हैं। एक पूरी तरह से क्रियाशील चेतना के लिए सावन का साहचर्य जरूरी है। आषाढ़ के साथ हल्की फुहार के साथ हम तैयार होते है। और सावन के साहचर्य में हम अंतर देह में पैठने लगते हैं। आषाढ़ से लेकर कार्तिक के देवउत्थान एकादशी तक का समय भक्ति, ज्ञान, चिंतन, सत्संग, उत्सव एवं आस्था के साथ अकर्म के चार्तुमाश में अपने को सजग रखते हैं। अकर्म की यात्रा आषाढ से शुरू होती है तो हम कर्म न करते हुए भी लोक जीवन को अपनी दृष्टि, संदेश, भाव से सिंचित करते हैं।

ऐसे रखें मॉनसून में अपना ख्याल

ऋतु सिंह, योग प्रशिक्षक

मानसून यानि बरसात का मौसम जिसके शुरू होते ही भीषण गर्मी से राहत मिलती है,वही बारिश की बूँदें हमारे तन और मन को तरोताज़ा कर देती है। मिट्टी की भीगी खुशबु हमारे सारे तनाव और थकान को मिटा देती है। चारों ओर हरियाली, गिली मिट्टी, ठंड हवा मानों जैसे धरती को एक दुल्हन की तरह दिख रही हो जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही ये मौसम कुछ परेशानियों को भी साथ ले के आता है जैसे सर्दी-जुकाम, उल्टी, दस्त, वायरल, पेट संबंधित परेशानी इत्यादि।

आजकल जब कोरोना वायरस जैसे महामारी से पुरा देश परेशान है ऐसे में मानसून में ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी।ऐसे वातावरण में वायरस के फैलने की ज्यादा सम्भावना है।

इस मौसम में कुछ जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए

- पानी उबाल कर पीना चाहिए या फिर सिर्फ फिल्टर किया हुआ ही पीना चाहिए।
- हरे सब्जियों को अच्छे से धोकर खाना चाहिए क्योंकि इस मौसम में कभी-कभी कीड़े भी सब्जियों के अंदर मिलते हैं और कुछ हानिकारक बैक्टीरिया भी होते है।
- तली हुई चीजों को खाने से बचे। इससे पेट की सम्बन्धी समस्या हो सकती है।
- बारिश के पानी में भीगने में काफी मज़ा तो आता है परन्तु इससे सर्दी-जुकाम की परेशानी भी हो सकती है।
- विटामिन सी से भरपूर चीजों का सेवन करना चाहिए क्योंकि इससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।
- बारिश का पानी जमने न दे इससे मच्छर बढ़ जाते हैं और मलेरिया जैसे बीमारी फैलती है।
- बालों में इस मौसम में काफी नमी आ जाती है जिससे बाल चिपचिपे हो जाते हैं इसलिए जरूरी है कि बालों को समय -समय पर धोना जरूरी है।
- मॉनसून में फंगल इन्फेक्शन, वाईट हैड्स, ब्लैक हैड्स,मुहांसे की समस्या आम है। ऐसे में त्वचा को साफ सुथरा रखना चाहिए।
- चेहरे को दिन में दो तीन बार फेस वास से धोना चाहिए।
- नहाने के लिए गुनगुने पानी और साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ी सी सावधानी बरतने से हम मानसून का पूरा मज़ा ले सकते है।

हमसे जुडे.रहने के लिए (इंस्टाग्राम) instagram पर फ़ॉलो करें ritusinghfitness.

मलेरिया परजीवी के बारे में नयी जानकारी

दुनिया भर में हर साल मलेरिया से लगभग 4 लाख लोगों की मौत हो जाती है। यह प्लास्मोडियम परजीवी के कारण होता है जो मच्छरों के काटने से होता हैं और यह व्यक्ति के रक्त प्रवाह में बढ़ते जाते हैं।

क्रिक शोधकर्ताओं ने जर्मनी और स्विट्जरलैंड के सहयोगियों के साथ मिलकर मलेरिया परजीवी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोटीन की पहचान की है। यह अपने आपको लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले जहरीले यौगिक से बचाता है। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि इससे दवाओं के विकास में मदद मिलेगी, जो इस प्रक्रिया को अवरुद्ध करने में सफल होगा। यह अध्ययन प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। पोस्टडॉक्टरल रिसर्च फेलो जोकिम माटज़ कहते हैं- मलेरिया के लिए हेम क्रिस्टलीकरण के महत्व को थोड़ी देर के लिए समझा गया है, एक प्रोटीन की पहचान करके हमने संभावित नए उपचारों के लिए दरवाजा खोल दिया है जो मलेरिया को रोक सकते हैं।

आक्रामक विदेशी वनस्पतियां जैव विविधता के लिये हैं खतरनाक

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के द्वारा काफी समय पहले किए गए अध्ययन के अनुसार भारत में आक्रामक विदेशी पौधों की 173 प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इनमें सबसे खतरनाक आक्रामक प्रजातियां-अल्टरनेथेरा फिलोसेरॉ-इड्स, कैसिया अनफ्लोरा, क्रोमोलाना एरोमाटा, इचोर्निआ क्रैसेप्स, लैंटाना कैमारा, पार्थेनियम हिस्टीरोपोपस, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा और अन्य शामिल हैं। आक्रामक विदेशी (एलियन) प्रजातियों की आबदी में 20 से 30 फीसदी की वृद्धि होने से दुनिया भर में जैव विविधता को नुकसान होगा। यह वियना विश्वविद्यालय के फ्रांज एस्सल और बर्नड लेनजर के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम के एक अध्ययन का निष्कर्ष है। अध्ययन में यूरोप, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के 38 शोधकर्ता शामिल थे।

लोगों की जानबूझकर या अनजाने में की गई गतिविधियों से दुनिया के नए क्षेत्रों में अधिक से अधिक पौधे और पशु प्रजातियां पहुंच रहीं हैं- जैसे - व्यापार या पर्यटन के माध्यम से यह हो रहा है। इन विदेशी प्रजातियों में से कुछ जैव विविधता और लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, उदाहरण के लिए देशी प्रजातियों को विस्थापित करने या बीमारियों को प्रसारित करने से। हालांकि, जबकि हमारे पास विदेशी प्रजातियों के ऐतिहासिक प्रसार पर अपेक्षाकृत अच्छी जानकारी है, लेकिन वे भविष्य में किस तरह विकास करेंगे, इसके बारे में अभी भी हम बहुत कम जानते है। यह अध्ययन ग्लोबल चेंज बायोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। फिलहाल कंप्यूटर मॉडल के आधार पर सटीक अनुमान लगाना संभव नहीं है, कि भविष्य में विदेशी प्रजातियों के फैलने और इनका प्रभाव कैसे बदलेगा। फ्रांज एस्सल कहते हैं कि लोगों के द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के आकलन से ही आने वाले दशकों में विदेशी प्रजातियों के फैलने और प्रभाव के कारणों और परिणामों की बेहतर समझ हो सकती है।

अध्ययन से पता चलता है कि नई विदेशी प्रजातियों की संख्या में 20 से 30 प्रतिशत की वृद्धि बड़े पैमाने पर वैश्विक जैव विविधता के नुकसान का कारण माना जाता है। इन प्रजातियों की संख्या का शिखर पर पहुंचने की आशंका है।

दयानिधि

इस तरह बढायें रोग प्रतिरोधक क्षमता

निकिता कुमारी

कोरोना वायरस जैसी महामारी भारत में अभी भी बढ़ रही है जिसे देखते हुए भारत में लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचने के लिए हमारे शरीर के इम्युन सिस्टम का मजबूत होना बहुत जरूरी है।

इम्युन सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए डॉक्टरों द्वारा सलाह दी जा रही है कि लोग एक हेल्दी ला-इफस्टाइल को अपनाएं इसके अंतर्गत हमारी रोजमर्रा के कुछ आदतों को छोड़ना पड़ेगा और कुछ आदतों को अपनाना पड़ेगा। दरअसल शरीर के सभी अंगों पर पड़ने वाला प्रभाव हमारे इम्युन सिस्टम को मजबूत और कमजोर बनाने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि हमलोगों को हर एक छोटी-बडी.बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है।

✓ ज्यादा से ज्यादा पानी पीएं - दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करने से शरीर की सफाई हो जाती है साथ ही मीठे पेय पदार्थ और जूस के सेवन से बचें।

✓ फल और सब्जियों का सेवन - फल और सब्जियों का सेवन करने की सलाह आमतौर पर भी दी जाती है लेकिन बात जब एक मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता की हो तो फल और सब्जियों का सेवन बहुत ज़रूरी हो जाता है। इनमें इम्युनिटी पॉवर को बूस्ट करने के लिए ज़रूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जैसे - अदरक में मैंगनीज़ और कॉपर ,सुर्यमुखी के बीज में फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन-ई, विटामिन-बी6, कीवी में फोलेट,पोटैशियम,विटामिन-के, विटामिन-सी, पपीता में विटामिन-सी और पपाइन एंजाइम, हल्दी में एंट-ीऑक्सीडेंट, लहसुन में एलिलिस नामक यौगिक जो बैक्टीरिया और इंफेक्शन से लड़ने में मदद करता है, दही में गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिससे पाचन दुरूस्त रहता है, चिकन सूप में कोलजेन मौजूद होता, विटामिन-सी वाले फल (अंगुर, संतरा, नींबू इत्यादि) इनका सेवन लाभकारी होता है।

✓ तनाव से दूर रहें - तनाव के कारण हमारे शरीर की कई कोशिकाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिसके कारण वह इम्यून सिस्टम की कोशिकाओं को भी हानि पहुंचाता है इसलिए मज़बूत इम्यूनिटी पॉवर के लिए तनाव से बचें।

✓ रोज़ाना व्यायाम करें - व्यायाम करने से हमें अच्छी फिटनेस तो मिलती ही है साथ ही व्यायाम से हमारे शरीर के कई अंगों की मालिश हो जाती है जिससे हमारा इम्युन सिस्टम बूस्ट होता है।

✓ धुम्रपान न करें - एक अच्छे इम्यून सिस्टम के लिए डॉक्टरर्स धुम्रपान न करने की सलाह देते हैं। धुम्रपान करने से हमारे फेफड़े और श्वसन प्रणाली पर बुरा असर पड़ता है और इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होने लगता है।

सिर्फ सौंदर्य सामग्री नहीं एक औषधी भी है मेंहदी

साहिल कुमार

मेंहदी जिसे हिना भी कहते है इसका उपयोग बालों को प्राकृतिक रंग देने के लिए किया जाता है। मेंहदी के फायदे आपके बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा है। यह बालों को नरम और चमकदार बनाने में मदद करती है। हिना सबसे अच्छी बाल सौंदर्य सामग्री में से एक है जिसे भारत ने अन्य देशों के साथ साझा किया है। सदियों से महिलाएं मेंहदी के प्राकृतिक गुणों का उपयोग अपने बालों को मजबूत करने, उन्हें पोषण देने और सुंदर बनाने के लिए कर रही है। वे बालों के उपचार के लिए मेंहदी के पत्तों का उपयोग करती हैं। आधुनिक महिलाएं बालों के उपचार के लिए मेंहदी पाउडर का उपयोग भी करती हैं।

हिना मेहंदी का पेड़ लिथ्रेसे परिवार से संबंधित है जिसकी लगभग 260 प्रजातियां होती हैं। यह लासनिया जीन पौधों की एक मात्र प्रजाति है। मेंहदी एक कांटेदार सदाबहार झाड़ी है जो लगभग 6 मीटर तक ऊंची हो सकती है। इसमे गहरे हरे, संकीर्ण अंडाकार की पत्तियां होती हैं जो लगभग 5 सेमी. तक लंबी होती हैं। इस पौधे से चाय जैसी सुगंध आती है। इसके फूल सुगंधित और लाल या हल्के गुलाबी रंग के होते हैं जो पिरामिड की आकृति के अनुसार फूलते हैं। मेंहदी के फल नीले और काले बेरी की तरह होते हैं।

हिना मेंहदी का उपयोग

मेहंदी के पौधे की पत्तियों का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। इन पत्तियों के उपयोग से कई प्रकार की दवा और डाई के रूप में किया जाता है। लेकिन इसके अलावा इसके फूलों और छालों से निकाले गए तेल का भी उपयोग किया जाता है। मेंहदी तेल निकालने के लिए कम से कम तीन वर्ष पुराने पौधों का उपयोग करना चाहिए। मेंहदी के फूलों को आसवित करके मेंहदी तेल निकाला जाता है।

मेंहदी के फायदे

हिना रूट और हिना में भ्रमित न हों, इसे अल्कान्ना रूट भी कहा जाता है। प्राचीन समय से ही मेंहदी का उपयोग कैंसर, बढ़ी हुई स्पलीन, सिरदर्द, पीलिया, त्वचा रोग और परजीवी के कारण होने वाले गंभीर दस्त के लिए किया जाता है। इन दिनों लोग पेट और आंतों के अल्सर के उपचार के लिए हिना का उपयोग करते हैं। मेंहदी का उपयोग डैंड्रफ, एक्जिमा, स्टेबीज, फंगल संक्रमण और घावों के उपचार के लिए भी किया जाता है। मेंहदी के उपयोग करने के अन्य बहुत से लाभ है, आइए इन्हें जाने ।

बालों के लिए मेंहदी सबसे अच्छे विकल्पों में से एक इसलिए है क्योंकि यह एक प्राकृतिक बालों को रंगने वाले एजेंट और कंडीशनर की तरह काम करता है। मेंहदी आपके सिर दर्द से छुटकारा पाने, शरीर को साफ करने, नाखूनों में सुधार करने, त्वचा की रक्षा करने, बालों के स्-वास्थ्य को बढ़ावा देने, शरीर को ठंड़ा करने, सूजन को कम करने और उपचार की गति बढ़ाने मे मदद करती है।

उपभोक्ताओं की सुविधा पर पर्यावरण की क्षति

ज्योति कुमारी

कोरोना आपातकाल के शुरुआती समय में, लॉकडाउन के कारण बाजार आदि बंद होने से कॉमर्स में काफी गिरावट आई। वायरस के डर ने जहां एक ओर दुकानें, मॉल आदि बंद करा दिए, तो वहीं दूसरी ओर घरेलू सामान की जरूरत ने हमें ऑनलाइन खरीदी की ओर रुख कर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण वैश्विक स्तर पर ऑनलाइन खरीदी का उपयोग बढ़ा है। भारत में,पहली बार ई-कॉमर्स उपयोगकर्ताओं (ाळव) की संख्या में वृद्धि हुई है, परंतु इसके साथ वृद्धि हुई है प्लास्टिक के इस्तेमाल में।

देश के विभिन्न हिस्सों में ऑनलाइन शॉपिंग साइट द्वारा हर दिन लाखों पैकेट वितरित किए जाते हैं और लगभग हर पैकेज के अंदर के सामान को प्लास्टिक बबल में लपेटा जाता है, ताकि वह टूटने या खराब होने से बच सके। कभी-कभी खरीदे गए सामान बड़े बॉक्स में पैक किए जाते हैं, जो कि खरीदे गए सामान की तुलना में काफ़ी बड़े होते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए की बेची गई वस्तुएं ओवरसाइज बॉक्स में इधर उधर ना जाए। उन्हें बबल शीट से कई बार लपेटा जाता है और इसके उपरांत, एकल इस्तेमाल प्लास्टिक के अतिरिक्त शीट को बॉक्स में बची खाली जगहों में फिट किया जाता है।

भारत सरकार ने संशोधित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 के तहत, 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन एजेंसियों की कमी के कारण, कंपनियाँ बिकने वाली वस्तुओं में रैपिंग और पैकेजिंग में अत्यधिक मात्रा में प्लास्टिक का उपयोग करती हैं।

प्रश्न उठता है कि क्या प्रत्येक और हर वस्तु को बबल रैप की आवश्यकता होती है। कई बार समान जो टूटने योग्य नहीं होते हैं या आसानी से क्षतिग्रस्त नहीं होते हैं, वह प्लास्टिक रैपिंग की कई परतों में आते हैं। उपभोक्ताओं के अनुसार एक पुस्तक, एक मोबाइल चार्जर आदि उन्हें एकल उपयोग प्लास्टिक की कई परतों के साथ वितरित किया गया था। एक बार डिलीवरी पूरी हो जाने के बाद, यह प्लास्टिक उपभोक्ताओं द्वारा कचरे में फेंक दिया जाता है। जो आमतौर पर रीसाइक्लिंग के लिए नहीं चुने जाते हैं और इस तरह वे लैंडफिल सा-इटों में जाते हैं। कई बार प्लास्टिक के कचरे को अक्सर गर्मी या खाना पकाने के लिए जला दिया जाता है, जो वातावरण में ज़हरीले पदार्थ छोड़ता है। कंपनियाँ उत्तरदायी क्रियाओं को अपनाने और उनकी पैकेजिंग में पुनः प्रयोज्य, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने में बहुत धीमी हैं, और बेकार पैकेजिंग से दूर जाने में विफल हैं। पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग, या ग्रीन पैकेजिंग, उच्च-डिस्पोजेबल शिपमेंट विधियों को कम करने का एक तरीका है।

आखिरकार, दुनिया भर में उत्पादित लगभग आधे प्लास्टिक का उपयोग केवल एक बार फेंकने से पहले किया जाता है। इको-फ्रेंडली पैकेजिंग के लिए कई अलग-अलग विकल्प हैं, जिस-ाका अर्थ है कि सभी आकार और उद्योगों के व्यवसाय, ग्रीन पैकेजिंग का उपयोग कर ब्रांड पर बने रह सकते हैं। पेपर, कार्डबोर्ड, जूट इत्यादि से बने कई पैकेजिंग विकल्प हमारे पास मौजूद है, जो की समान के साथ पर्यावरण संरक्षण भी करते हैं। प्लास्टिक से हो रहे नुक्सान को कम करने की दिशा में उपभोक्ता और कॉर्पोरेट दोनों को सतर्क और जागरूक होने की आवश्यकता है।

प्लास्टिक स्थान पर्यावरण में नहीं बल्कि सर्कुलर अर्थव्यवस्था में है। जहां इसे पुनः उपयोग, पुनर्नवीनीकरण या खाद मे बनाया जा सके।

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मनोरंजन सिंह द्वारा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2,रातू रोड, रांची- 834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : JHAHIN/2019/78094, email:greenrevolt2019@gmail.com. ☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।